

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- वि०प्रा०/कौ०-०१/२०२३/०९/भोजना

/राँची, दिनांक- 18.05.2023

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची में डीप बोरिंग सहित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 40,89,003/- (रु० चालीस लाख नवासी हजार तीन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची के परिसर में इनोवेशन हब एवं प्रस्तावित साईंस सिटी के निर्माण को देखते हुए तथा वर्तमान में संचालित तारामंडल एवं अन्य विज्ञान प्रदर्श के निमित्त आने वाले Visitors के लिए पानी की सर्वसुलभता सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद का पत्रांक 50 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, राँची से परिसर में दो डीप बोरिंग के साथ जलापूर्ति की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता का पत्रांक 251 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची के परिसर में दो डीप बोरिंग, पंप सेट अधिष्ठापन, डिलेवरी एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने एवं संयोजन कार्य तथा चार अदद Water Storage Cooler-cum-Purifier का अधिष्ठापन आदि कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल प्राक्कलित राशि रु० 40,89,003/- (रु० चालीस लाख नवासी हजार तीन) मात्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलन संख्या एवं तिथि	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Estimate for augmentation of water supply to the Regional Science Centre, Chiraundi, Ranchi by (1) the construction of 2 Nos. HYDT, supplying and installation of submersible P/set, (2) Supplying and laying of newly delivery and distribution UPVC pipe lines & (3) Installation of 4 Nos. Water Storage Cooler cum Purifier in 2 Nos. Kiosks and associated allied works at Regional Science Centre Campus at Chiraundi, Ranchi.	RR-10/2023-24 10.05.2023	40,89,003.00

अतः उक्त के आलोक में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो डीप बोरिंग, पंप सेट अधिष्ठापन, डिलेवरी एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने एवं संयोजन कार्य तथा चार अदद Water Storage Cooler-cum-Purifier का अधिष्ठापन आदि कार्य के लिए कुल रु० 40,89,003/- (रु० चालीस लाख नवासी हजार तीन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- राशि की निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परियोजना-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटैकनिक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड की होगी जो तकनीकी स्वीकृति के साथ विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा। कार्य की प्रगति के संबंध में पर्यवेक्षण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) द्वारा करते हुए प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत्यादेश निर्गत के पश्चात आवश्यकतानुसार आवंटन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन झारखण्ड PWD कोड के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य पूर्ण करने के अवधि 90 दिन होगी।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि० 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।
9. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं० 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन की जायेगी।
10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्तन नहीं किया जायेगा।
12. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
14. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार वित्त विभाग (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार झारखण्ड राँची का होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से


(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ०-०१/२०२३/०९/योजना

/राँची, दिनांक:- 18.05.2023

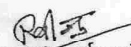
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ०-०१/२०२३/०९/योजना

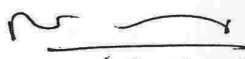
/राँची, दिनांक:- 18.05.2023

प्रतिलिपि :- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक-II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रवीन्द्र प्र० बर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी


(मनौवर आलम)
अवर सचिव

(गरिमा सिंह)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा


(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव